>

Title: Need to give allocated quota of kerosene oil and LPG for the State of Himachal Pradesh.

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश को मिलने वाले मिट्टी का तेल एवं रसोई गैस के निर्धारित कोटे में कटौती किये जाने के बारे में केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है तथा इसमें 21,325 वर्ग किलोमीटर जंगल है। सरकार द्वारा जंगलों से लकड़ी काटना पूर्णतः प्रतिबंधित है। यह बात ठीक है कि पर्यावरण को बचाने के लिए अधिकाधिक जंगलों की आवश्यकता है। परन्तु खेद का विषय है कि केन्द्र की सरकार ने गैस व तेल के निर्धारित कोटे की अप्रत्याशित कटौती कर प्रदेश के साथ अन्याय किया है।

सभापति महोदय, जहां प्रदेश को केन्द्र से 5275 किलोलीटर मिट्टी के तेल का कोटा मिलता था, जिसे घटाकर वर्तमान में 2025 किलोलीटर कर 62 प्रतिशत की कटौती की गई है। प्रदेश की आबादी के अनुसार प्रति माह रसोई गैस के 3300 ट्रकों की जरूरत होती है जबकि केन्द्र द्वारा वर्तमान में हिमाचल के लिये 2219 ट्रक ही निर्धारित किये गये हैं और केवल उसमें से भी 1900 ट्रक ही हर महीने राज्य को दिये जा रहे हैं। अतः मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि हमारे प्रदेश को मिट्टी तेल एवं रसोई गैस के निर्धारित कोटे को पुनः बहाल किया जाए।

सभापति महोदय :

श्री अर्जुन राम मेघवाल को श्री वीरेन्द्र कश्यप जी द्वारा उठाये गये विषय के साथ सम्बद्ध किया जाता है।